कार्यालय
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सं0: 433 /ए0सी0एस0(बेसिक/माध्यमिक शिक्षा)/2026 लखनऊ : दिनांकः 03 जुलाई, 2026

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0।**
4. **समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।**
5. **समस्त डी0आई0ओ0एस0, उ0प्र0।**
6. **समस्त बी0एस0ए0, उ0प्र0।**

विषयः—'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' के शुभारम्भ एवं डी0बी0टी0 वितरण कार्यक्रम' के शुभारम्भ के संबंध में।

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या– I/1228587/2026–68–5099/471/2025–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 05 फरवरी, 2026 द्वारा प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 'कैशलेस चिकित्सा सुविधा' का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तत्क्रम में शासनादेश संख्या:1728/15–8–2026–3098/2025 दिनांक 04 फरवरी, 2026 द्वारा अवगत कराया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षक सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारम्भ एवं डी0बी0टी0 वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ **मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08 जुलाई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद वाराणसी के व्यापार केन्द (ट्रेड सेन्टर) में आयोजित समारोह में किया जाना प्रस्तावित है।** कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जायेगा, जिसका लिंक पृथक से शेयर किया जायेगा।

कक्ष सं0 63, प्रथम तल, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001
दूरभाष- 0522-2238471/2213485 Email: addl.csbasic@gmail.com :: acsup.se@gmail.com

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के तुरन्त बाद जनपद मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कराया जाये, जिसमें जन सामान्य के साथ-साथ मा0 मंत्री/सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष/नगर निकाय प्रतिनिधिगणों को आमंत्रित किया जाये एवं मंच से जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर 20-20 मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का कैशलेस कार्ड वितरित किया जाये। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी/अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/ग्राम प्रधान/पंचायत प्रतिनिधि/ शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक/स्वयंसेवी संगठन एवं समुदाय के प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को दिखाया जाये।

जनपद एवं तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु मण्डल मुख्यालय के जनपद हेतु रु0 5.00 लाख एवं मण्डल मुख्यालय से इतर जनपदों हेतु रु0 3.00 लाख की धनराशि (जनपद एवं तहसील स्तर पर कार्यक्रम हेतु) की लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से निर्गत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के क्रम में जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

कृपया मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारम्भ एवं डी0बी0टी0 वितरण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समयबद्ध रूप से उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3/1/26

(पार्थ [illegible] शर्मा)

[illegible]
बेसिक [illegible] शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को समयबद्ध रूप से प्रभावी अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु :-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा (मा0), उ0प्र0।
3. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

<u>बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी और अनुबंधित शिक्षकों/कार्मिकों को भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज एकाउन्ट लाभ प्रदान किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य Memorandum of Understanding (MoU) का निष्पादन</u>

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुदेशक सम्मान समारोह में शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशक जैसे कार्मिकों के लिए उनके सैलरी खाते के आधार पर बैंको से कार्मिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्राप्त करने हेतु बैंको से वार्ता करने हेतु प्रेरित किया गया। जिसके क्रम में बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर अध्ययन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव उचित पाया गया।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत सैलरी खाते के आधार पर स्टेट गर्वन्मेन्ट सैलरी पैकेज में बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कार्मिकों यथा शिक्षक एवं शासकीय कार्मिक तथा अनुबंधित कार्मिकों यथा शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक, समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों तथा मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत कार्यरत रसोईया व अन्य समस्त अनुबंधित कार्मिक आच्छादित होंगे।

इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत लगभग 4.50 लाख स्थायी कार्मिक तथा 5.5 लाख अनुबंधित कार्मिक लगभग 10 लाख कुल कार्मिक लाभान्वित होंगे।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सैलरी पैकेज के अन्तर्गत स्थायी कार्मिकों, जिनकी नेट सैलरी रू0 10 हजार से अधिक है उन्हें रू0 10 लाख का Group Term Life Insurance Cover, रू0 1 करोड़ का Personal Accident Insurance Cover, रू0 1 करोड़ का Permanent Disablility Cover, रू0 1.6 करोड़ का Air Accident Cover के साथ–साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी Aid On Cover प्रदान किया गया है।

संविदा कार्मिकों के लिए नेट मासिक वेतन रू0 10 हजार से अधिक होने की दशा में रू0 30 लाख तक का Personal Accident Insurance Cover, स्थायी/आंशिक विकलांगता की दशा मे रू0 30 लाख/रू0 15 लाख का Insurance Cover, Air Accident की दशा में रू0 30 लाख का Insurance Cover तथा कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी Aid On Cover प्रदान किये गये हैं।

प्रतिमाह रू0 10 हजार से कम नेट मासिक वेतन वाले कार्मिकों को जीरो बैलेन्स एकाउन्ट तथा Rupay Debit Card के आधार पर रू0 1 लाख का Insurance Cover प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक Memorandum of Understanding निष्पादन किया जायेगा। जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में पूर्व से खुले हैं, उन्हें सैलरी पैकेज में बदला जायेगा तथा जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नही हैं, उन कार्मिकों को अपना वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोलने हेतु प्रेरित किया जायेगा, ताकि वे कार्मिक भी अन्य कार्मिकों की भांति Memorandum of Understanding के अन्तर्गत प्रदत्त सभी लाभ प्राप्त कर सकें।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007
वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

निपुण भारत

ई-मेल द्वारा

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक- रा0प0नि0/वित्त/ 2388 /2026-27 दिनांक : 04.07.2026

विषयः- **भारतीय स्टेट बैंक से किये जाने वाले MoU विषयक।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं डी0बी0टी0 कार्यक्रम का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिनांक 08 जुलाई, 2026 को पूर्वान्ह् 10 बजे से हस्तकला संकुल/ट्रेड फैसिलेटेशन सेन्टर, वाराणसी में किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के समानान्तर जनपदों में जिलाधिकारी एवं तहसील मुख्यालय के विकास खण्डों के उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कराया जाना है। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी एवं संविदा कार्मिकों के सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हेतु बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच **MoU** का निष्पादन भी किया जाना है। जनपदों में होने वाले कार्यक्रम में भी उक्त **MoU** का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **MoU** का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपदीय कार्यक्रम में किया जायेगा। इस हेतु भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होना है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों के साथ आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका रानी)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0- रा0प0नि0/वित्त/ 2388 /2026-27 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मोतीमहल, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ (पश्चिम), हजरतगंज, लखनऊ को अपने स्तर से जिला स्तरीय बैंक अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु।

(मोनिका रानी)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा